न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः– 40/2021
जीसीएमएस नंबरः– 2021/539

प्रार्थीः–

1. अभयसिंह पुत्र श्री जमनाराम, आयु 60 वर्ष जाति माली निवासी 203 पोलो द्वितीय तह. व जिला जोधपुर।
2. मगसिंह पुत्र श्री जमनाराम, आयु 66 वर्ष जाति माली निवासी न्यू पावर हाउस के सामने, नागौरी गेट के बाहर, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम</u>

–::आदेश::–

दिनांकः– 02.05.2025

उपस्थितिः– 1. श्री अनोपसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा सं. 462 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, किस्म बारानी प्रथम, खसरा सं. 463 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा सं. 678 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, कुल रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा प्रार्थीगण के पूर्वज पिता जमनाराम पिता पलजी का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम मण्डोर द्वितीय तहसील जोधपुर जिला जोधपुर में आई हुई है। प्रार्थीगण के पिता व दादा जमनाराम पुत्र पलजी वास्तविक व सही नाम है प्रार्थीगण के पूर्वज जमनाराम पुत्र पलजी मिशल बंदोबस्त में दर्ज है इस कारण प्रार्थीगण के पूर्वज जमनाराम पुत्र पलजी नाम की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में जमनाराम पुत्र हीरा के स्थान पर जमनाराम पुत्र पलजी संशोधित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 25.03.2025 को तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार जोधपुर ने रिपोर्ट में कथन किया कि ग्राम मण्डोर के खसरा सं. 462, 463, 678 रकबा क्रमशः 12–08 बीघा, 8–08 बीघा, 2–12 बीघा में जमना पि. हीरा का नाम बतौर सहखातेदार जमाबंदी संवत् 2060–63 में दर्ज है। इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर पूछताछ कर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द अनुसार मौके पर उपस्थित सहखातेदारों व अन्य पड़ौसिंों से पूछताछ करने पर बताया गया कि जमना राम जी के पिताजी का नाम पलजी था, जमना पिता हीरा नाम गलती से दर्ज हुआ है। उपस्थित खातेदारों ने बताया कि जमनाराम जी की मृत्यु दिनांक 12.10.2005 को हो गई जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र रजि. सं. 30502464 दिनांक 26.10.2005 में जमनाराम के पिता का नाम पलजी दर्ज है। मौका फर्द पर आस–पड़ौस के खातेदारों के हस्ताक्षर है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की

रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 462, खसरा सं. 463, खसरा सं. 678 ग्राम मण्डोर द्वितीय तहसील जोधपुर जिला जोधपुर की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता व दादा का नाम जमनाराम पुत्र हीरा के स्थान पर जमनाराम पुत्र पलजी दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं। इस हेतु तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी हो।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 05/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)